हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला – 176700

क्रमांकःहि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 9/09-4776-4905 दिनांकः 08.09.09

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29-7-2009 की मद सं० 9 के अन्तर्गत Government of Himachal Pradesh Department of Education के पत्र संख्या EDN-A-Ka (3)-6/2009 दिनांक 27/03/2009 (Prohibition of Ragging) Oridance 2009 के अंतर्गत सम्बद्वता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में Ragging के मामले पर की जाने वाली निम्न दर्शाई कार्यवाही का समावेश सम्बद्वता विनियम 1996 में करने का निर्णय लियाः–

"कोई भी विद्यार्थी किसी भी शैक्षणिक संस्थान परिसर के भीतर याइसके बाहर रैंगिग करता है तो, दोषसिद्धि पर उसे तीन वर्ष का कारावास या 50,000/- रूपये का जुर्माना होगा, या दोनों से उसे दण्डित किया जाएगा। निष्कासित छात्र को ऐसे निष्कासन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख (हैड) उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीधे तौर पर या मुख्यतः पर्यवेक्षण का प्रभारी कोई अधिकारी होने के नाते जान बूझकर जांच–पड़ताल नहीं करता है और रिर्पोट नहीं करता है या अपराध करने में मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, तो उसे दो वर्ष का कारावास या 50,000/-रूपये का जुर्माना होगा या दोनो से दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब कभी भी छात्र, माता–पिता या संरक्षक या किसी शैक्षणिक संस्था का अध्यापक या प्रभारी अधिकारी, लिखित में रैगिंग की शिकायत (परिवाद) शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) को करता है, तो उस शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड) शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टो के भीतर इसकी जांच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया में सही पाई जाती है तो दोषी पाये गये छात्र को निलम्बित करेगा। यदि प्रथमदृष्टया शिकायत गलत पाई जाती है तो वह तथ्य को लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

इस अध्यादेश के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि संस्थान में ऐसी पुनरावृति होती है तो उसमें संस्थान के मुख्या/प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा संस्थान को प्रदान की गई संबद्वता को तुरन्त रदद्व कर दिया जायेगा तथा ऐसे संस्थान संबद्वता के लिए आगामी पांच वर्ष तक आवेदन नहीं कर पायेंगे।"

सचिव